न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 14 / 2026(GCMS 2026/25)

खेमचन्द पुत्र श्री ताराचन्द निवासी 6 एन 55, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94146 28414

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री खेम चन्द्र स्वयं उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2025 से प्रस्तुत करके एक बिन्दु सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है। अपीलार्थी ने अपनी बहस के साथ लिखित बहस भी पेश की, शामिल मिसल की गई।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी खेमचन्द ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2025 से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी :

माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा आपके कार्यालय को पत्र क्रमांक सीजी / वाचक / 23 / 193 दिनांक 13.02.2023 व पत्र क्रमांक सीजी / वाचक / 24 / 1256 दिनांक 10.09.2024 भेजकर मेरे पिताजी श्री ताराचन्द को सूरतगढ़ कस्बा ग्राम में खसरा नं. 272 / 3, 487 / 1, 487 / 2 में आवंटित कुल 35 बीघा कृषि भूमि के सम्बन्ध में कुल 11 बिन्दुओं पर आपसे सूचना / रिपोर्ट चाही गई थी। कृपया उक्त पत्रों की पालना में आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई [illegible] की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ / 2026 / 100 दिनांक 23.04.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

यह है कि प्रार्थी श्री खेमचन्द पुत्र श्री तारावन्द 6 एन 55, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर 335001(राज.) को 94146-28414 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत प्रा.पत्र इस कार्यालय में दिनांक 13.11.2025 द्वारा आवेदन किया गया था, उक्त आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय अभिलेख में जिस कदर संधारित है, प्रार्थी व्यक्तिशः उपस्थित आकर निरीक्षण शुल्क एवं प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर अभिलेख प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ना तो सूचना सृजित करके दी जा सकती है और ना ही सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस संदर्भ में रिट पिटिशन संख्या 419/2007 डॉ. सेल्सा पिण्टो बनाम गोवा राज्य सूचना का आयोग प्रकरण में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2008 भी अवलोकनीय है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, जो अभिलेखों में उपलब्ध है। सूचना के रूप में लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं के मत से दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी का दायित्व यहां तक है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उक्तानुसार निरस्त किया गया था। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2025/347 दिनांक 28.11.2025 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो** निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्नात्मक रूप मे नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर **अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **15.05.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested